उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्र सं0: 2978 –मा0सं0–03/उनिलि/2014–5(20) मा0सं0–03/2006 दिनांक: 26-11-2014

"कार्यालय ज्ञाप"

निगम के आदेश संख्या: 2150–मा0सं0–03/उनिलि/2014–5(20)मा0सं0–03/2006, दिनांक: 05.09.2014 एवं 2151–मा0सं0–03/उनिलि/ 2014, दिनांक: 05.09.2014 द्वारा क्रमशः अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) तथा अवर अभियन्ता (जानपद) की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप से घोषित करते हुये दिनांक: 24.09.2014 तक आमंत्रित आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय अवर अभियन्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण एतद्द्वारा निम्नवत् हैः–

क0 सं0	नाम (सर्वश्री)	मुख्य/समान प्रकार की आपत्तियों का संकलित संक्षिप्त विवरण	निस्तारण टिप्पणी
1	2	3	4
1	श्री राजीव कुमार बरनवाल, अनपरा	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 82 पर अंकित प्रार्थी के पिता का नाम हरिशंकर बरनवाल की जगह हरिश्चन्द्र बरनवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम सुधार कर हरिशंकर बरनवाल करने की कृपा करें।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
2.	श्री मयक कुमार आर्य	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 81 पर अंकित प्रार्थी को अनु0जाति का दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थी समान्य श्रेणी का है, अतः इसे संशोधन किया जाये।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
3.	श्री महेश कुमार, ओबरा	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 156 पर अंकित प्रार्थी की जन्म तिथि (01.04.1982) गलत दर्शायी गयी है, जबकि वास्तविक जन्म तिथि 01.01.1982 है।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
4.	श्री अनिल कुमार पाठक	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 49 पर अंकित प्रार्थी की जन्म तिथि (12.07.1986) गलत दर्शायी गयी है, जबकि प्रार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 12.07.1976 है, अतः इसे सशोधित करने की कृपा करें।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
5.	श्री जसवन्त सिंह, (जानपद) पारीछा	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 27 पर अंकित प्रार्थी के नाम के सामने (अनुसूचित जाति) का उल्लेख नहीं है। कृपया प्रार्थी के नाम के सामने अनुसूचित जाति अंकित करवाने की कृपा करें।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
6.	श्री नवीन कुमार सिंह, हरदुआगंज	घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 148 पर अंकित प्रार्थी के पिता का नाम श्री महत्तम सिंह उल्लेखित है, जबकि पिता का सही नाम महातम सिंह है। कृपया संशोधित करने की कृपा करें।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
7.	श्री सुनीत कुमार	कार्यालय ज्ञाप सं0 2150 दि0 05.09.2014 द्वारा घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्रार्थी को क्रम सं0 159 पर रखा गया है जबकि प्रार्थी का विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त लिखित परीक्षा का अंक 96.70 है। जबकि विनय कुमार राय (परीक्षा अंक–92.90, क्रम सं0–154) विपिन आर्या (परीक्षा अंक–90.75, क्रम सं0–158), राजू सिंह, (परीक्षा अंक–89.25, क्रम सं0–144), शैलराज वर्मा, (परीक्षा अंक–95.95, क्रम सं0–98), संतोष कुमार निरंजन (परीक्षा अंक–96.10, क्रम सं0–103) का नाम सूची में प्रार्थी से ऊपर है, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान तापीय प्रशिक्षण संस्थान में भी प्रार्थी को उक्त अवर अभियन्ताओं से सेमेस्टर वाइज ऑब्जरवेशन	निगम में अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके चयन परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का सामान्यीकरण के पश्चात प्राप्त अंको के आधार पर वरिष्ठता विनियमावली 1998 के संशोधन आदेश संख्या: 08–उनिलि/रिफॉर्म/रेगुलेशन/2010/सीनियारिटी दिनांक: 07.01.2010 (प्रभावी तिथि 01.03.2008) के विनियम–5 के प्राविधानान्तर्गत की जाती है।

		टेस्ट में ज्यादा अंक रहा है (सेमेस्टर वाइज लिखित परीक्षा की कापियॉ दिखाई जाती थी)। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की वरिष्ठता का पुनः मुल्यांकन कराकर उक्त अवर अभियन्ताओं के ऊपर सूची में नाम अंकित करवाने की कृपा करें।	इसी नियम का पालन करते हुए अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.09.2014 में नाम व्यवस्थित किया गया है। अतः प्रत्यावेदक का अनुरोध नियमानुकूल नहीं है।
8.	श्री कुलभूषण वर्मा, पनकी	1. (क) उत्पादन निगम के पत्र सं0 1513–मा0सं0–03/उनिलि/2012–5(8)/2012, दिनांकः 27.06.2012 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निचले पदों से आने वाले विभागीय कार्मिको हेतु अवर अभियन्ता का पद प्रोन्नत पद न होकर चयन का पद ही है। 1. (ख) इसके अतिरिक्त नियमानुसार किसी भी कार्मिक को एक बार में एक ही अगले उच्च पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है किन्तु अमुक वरिष्ठता सूची में निचले पदों से आये अवर अभियन्ताओं को सहायक व श्रमिक पदों से सीधे अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति किया गया है। 1. (ग) सीधी भर्ती से अवर अभियन्ताओं को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा निचले पदो के कार्मिकों को भी उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर ही अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके उपरान्त भी वरिष्ठता तय करते समय उन्हें प्रोन्नत मान लिया गया है जो कि किसी प्रकार भी तर्क संगत नहीं है। 2. (क) सीधी भर्ती के अवर अभियन्ताओं को निगम की सेवा में आते ही उन्हें एक वर्ष की इन्डक्शन ट्रेनिंग करायी जाती है तथा अवर अभियन्ता के पद पर चयन के उपरान्त भी व उन्हें सीधे ही अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। 2. (ख) सीधी भर्ती से आये अवर अभियन्ताओं की एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि, समयबद्ध वेतनमान आदि के निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है किन्तु वरिष्ठता तय करने में प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि निचले पदों से चयनोपरान्त आये अवर अभियन्ताओं को अवर अभियन्ता पद के कार्यो का ज्ञान शून्य होने के उपरान्त भी उनको सीधी भर्ती के अवर अभियन्ताओं के समान एक वर्ष की इन्डक्शन ट्रेनिंग नहीं करायी जाती है व इस प्रकार उनकी प्रशिक्षण अवधि वरिष्ठता तय करने में सम्मिलित नहीं की जाती है जो कि न तो तर्क संगत है न ही न्याय संगत है। 3. पत्रांक 2150–मा0सं0–03/उनिलि/2014 दिनांक 05.09.2014 के अनुसार बनी वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती से आये अवर अभियन्ता निचले पदों से चयनोपरान्त आये अवर अभियन्ताओं से 01 वर्ष व 5 माह पहले अवर अभियन्ता के पद पर निगम की सेवा में आये थे, 02 माह पूर्व नियमित हो गये थे तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि अधिक पाते है। इसके अतिरिक्त निचले पदों से आये चयनोपरान्त आये अवर अभियन्ता सीधी भर्ती से आये अवर अभियन्ताओं के अधीन कार्य करते थे किन्तु इसके उपरान्त भी सीधी	1. (क),(ख),(ग) तथा 2(क) एवं (ख):– The Uttar Pradesh State Electricity Board Subordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulations, 1972 के उपनियम 5(B) व 17 सपठित संशोधन निगमादेश सं0 9–उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/2010, दिनांकः 07.01.2010 सपठित निगमादेश सं0 8–उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 157–33/2013 दिनांकः 16.01.2014 में निहित प्राविधानानुसार परिचालकीय श्रेणी पी–4, पी–5 तथा पी–6 के पदों पर कार्यरत कार्मिको का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में केवल सफल होने के उपरान्त अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन किया जाता है, जबकि सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों को अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति की जाती है जिन्हे प्रशिक्षण उपरान्त अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के अनुसार उस स्थिति में जब नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों श्रोतो से की जाय तो ज्येष्ठता का निर्धारण विनियम–8 (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार किया जाता है। प्रत्यावेदक की पारस्परिक ज्येष्ठता इसी विनियम का पालन करते हुए की गयी है। आदेश दिनांकः 05.09.2014 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर कार्मिको से आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी जबकि प्रत्यावेदक द्वारा वरिष्ठता सूची पर आपत्तियॉ न प्रस्तुत कर ज्येष्ठता /वरिष्ठता सम्बन्धी विनियमो पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी है जो असंगत

		भर्ती वाले अवर अभियन्ताओं को वरिष्ठता में नीचे रखा गया है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी के मन में कुंठा भाव जागृत हो रहा है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके पुनः अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता तय करते हुये सीधी भर्ती के अवर अभियन्ताओं को वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर रखा जाय।	होने के दृष्टिगत अस्वीकार की जाती है। 3. पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्याः 84–विनियम–23/ राविप–98–3–विनि/92 दिनांकः 24.02.1998 के विनियम 08 के पैरा 3 में निहित *"जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों श्रोतो के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा : अवधारित की जायेगी"* के अनुसार किया जाता है । अनन्तिम वरिष्ठता सूची उपरोक्तानुसार ही बनाई गयी हैं अतः प्रतिवेदक का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।
9.	श्री मुकुल कुमार गुप्ता, (जानपद) पनकी	कार्यालय ज्ञाप सं0 2151–मा0सं0–03/उनिलि/2014, दिनांकः 05.09.2014 के द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अवर अभियन्ता (जानपद) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी की संविलियन आदेश सं0 2985–मा0सं0–03/ उनिलि/2008, दिनांकः 16.12.2008 के क्रमांक 52 की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई सूचना व्यक्तिगत/वेबसाइट से प्राप्त नहीं हुयी है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए प्रार्थी की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।	संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।
10.	1. अनुराग सिंह, अनपरा 2. वरूण कुमार पाण्डेय, अनपरा 3. रामपाल यादव, अनपरा	1. घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अवर अभियन्ताओं के प्राप्तांको का उल्लेख नहीं है। 2. प्रार्थी के नियुक्ति पत्रांक 3350–मा0सं0–03/उनिलि/2009, दिनांकः 27.07.2009 में सभी चयनित अवर अभियन्ताओं को आबंटित परियोजनाओं में एकमात्र नियुक्ति तिथि, दिनांकः 02.09.2009 कार्य कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया था, परन्तु उक्त तिथि के बाद निगम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की अनदेखी की गयी है। 3. प्रार्थी के प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षणों के प्राप्तांक विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तरह प्रमाणित एवं विश्वसनीय नहीं है, को वरिष्ठता क्रमांक निर्धारण हेतु आयोग की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के साथ समायोजित करना प्रासंगिक एवं न्यायपूर्ण नहीं है। 4. उपरोक्त नियुक्ति पत्रांक द्वारा प्रार्थी के साथ चयनित अभियान्त्रिकी के विभिन्न शाखाओं के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अवर अभियन्ताओं के सापेक्ष प्रतिशतांक के आधार पर एवं उन शाखाओं के रिक्तियों के	**बिन्दु 1.** अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्राप्तांको के उल्लेख किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। **बिन्दु 2.** ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधानान्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। विनियमावली–1972 के अनुसार सेवा संवर्ग का प्रारम्भिक पद अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) है। अतः अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति पर प्रशिक्षण उपरान्त अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के मौलिक पद पर आदेश की तिथि अथवा ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांकः जो विनिर्दिष्ट हो, से ज्येष्ठता दिये जाने का प्राविधान है।

		अनुपात को अनदेखी करते हुये समायोजित कर वरिष्ठता सूची बनाने से यॉत्रिक अभियंन्त्रण के प्रार्थी की अपेक्षा कम अंक प्राप्त करने वाले दूसरे शाखाओं के अवर अभियन्ता वरिष्ठता कमांक में ऊपर है जो कि न्यायपूर्ण एवं प्रासंगिक नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिन्दुओं का विचारोपरानत निस्तारण करने की कृपा करें।	**बिन्दु 3. एवं 4.–** आदेश दिनांकः 05.09. 2014 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर कार्मिको से आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी जबकि प्रत्यावेदक द्वारा वरिष्ठता सूची पर आपत्तियॉ न प्रस्तुत कर ज्येष्ठता/वरिष्ठता सम्बन्धी विनियमो पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की है जो असंगत होने के दृष्टिगत अस्वीकार की जाती है।
11.	श्री रामपाल यादव, अनपरा	1. उ0प्र0 राज्य वि0उ0नि0लि0 में अवर अभियन्ता पद से जो कार्मिक त्यागपत्र देकर वर्तमान में निगम में कार्यरत नहीं है, का नाम भी वरिष्ठता सूची में अंकित है जो सूची से हटाया जाना चाहिए। 2. घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कमांक 19 पर अंकित प्रार्थी के पिता का नाम महादेव अंकित है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम महादेव यादव है, को संशोधन करने का कष्ट करें।	1. घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उल्लेखित त्यागपत्रित अभियन्ताओं के त्यागपत्र स्वीकृति का प्रकरण प्रक्रियाधीन है, वैसे भी सूची में उल्लिखित अन्य अभियन्ताओं पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। 2. संज्ञान में ले लिया गया। यथापेक्षित संशोधन समाविष्ट कर लिया जायेगा।

निदेशक (कार्मिक)

पत्र सं0: 2978 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2014 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी) पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) को इस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें । साथ ही साथ कार्यालय ज्ञाप की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा करा दें। इस आदेश की प्रति उत्पादन निगम लि0 की बेबसाइट www.uprvunl.org से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, (पीपीएमएम)/(तापीय परिचालन), उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद)/(आर0 एण्ड एम0)/(ईधन)/(वाणिज्य),उनिलि, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
5. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मानव संसाधन), (01/02/03/04/05/06)/रिफार्म उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति परियोजना) उ0नि0लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तुत आदेश यथाशीघ्र उ0नि0लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।
8. सहायक अभियन्ता, (डाटा बेस) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
9. कट फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)